

निर्णय


अतः वादी का वाद, वाद अनुसार स्वीकार किया जाता है तथा इस आशय का डिक्ली पर्चा स्टाम्प ड्यूटी पेश के पश्चात जारी हो। और तहसीलदार खीवसर को इसकी पालना हेतु लिखा जावे।

1. वादी श्री श्रवणराम के बंट एवं कब्जा काश्त में मौजा आकला के खसरा नंबर 268 रकबा 03.13 बीघा में से 18 बिश्वा 5 बिस्वांषी उतरी तरफ सरकारी जमीन लगती बंट एवं खातेदारी में घोषित किया जाता है।
2. प्रतिवादी श्री भेराराम के बंट एवं कब्जा काश्त में मौजा आकला वादी के दक्षिणी तरफ 18 बिश्वा 5 बिस्वांषी जमीन बंट खातेदारी घोषित किया जाता है।
3. प्रतिवादी संख्या 2 से 10 के संयुक्त खातेदारी बंट एवं कब्जा काश्त में मौजा आकला प्रतिवादी संख्या 1 से दक्षिणी तरफ की जमीन 36 बिश्वा 10 बिस्वांषी प्रतिवादी संख्या 2 से 10 के संयुक्त बंट खातेदारी घोषित किया जाता है। जो वाद के साथ पेश नजरी नक्शानुसार है। नजरी नक्शा बंटवाड़ा वाद का अभिन्न अंग है। वाद का ही भाग माना जावे।

पक्षकारान खर्चा अपना अपना वहन करें। इसी अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद हो।


राजकेश मीना RAS
सहायक कलेक्टर
SDO खीवसर

यह निर्णय आज दिनांक 27.07.2021 को सरेइजलास सुनाया गया।


राजकेश मीना RAS
सहायक कलेक्टर
SDO खीवसर

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

राज्य-वारं-की माली पञ्चायती
वाहते-कारण-भूख-वारं-हेतु-डिप्टि
26.7.21 को-ये-दर्शिका

सहायक कलक्टर
(SDO), खोंकम

26.7.21

पञ्चायती-ये-कारण-वर्ष-वारी
उप-भूख-वारं-पद-कारण-एक-पुत्री-
(पुत्री-गर्भ) पञ्चायती-वाहते-निर्वाह-
हेतु-डिप्टि-27.7.21 को-ये-दर्शिका

सहायक कलक्टर
(SDO), खोंकम

27.7.21

पञ्चायती-ये-कारण-वर्ष-वारी
उप-वारी-का-वारं, वारं-पुत्र-वारं-
स्त्री-वारं-दिमा-प्राण-ही-विद्वृत-निर्वाह-
पुत्र-से-मिल-वा-प्राण-वारं-
एक-वारं-शामिल-निर्वाह-दिमा-गर्भ-
पञ्चायती-दिमा-पुत्र-वारं-वारं-
प्राण-शामिल-एकर-

सहायक कलक्टर
(SDO), खोंकम